

विधि (प्रश्न-पत्र-II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें)

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

LAW (PAPER-II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक कानूनी प्रावधान और न्यायिक घोषणाएँ दीजिए :

Answer the following in about 150 words each. Support your answers with relevant legal provisions and judicial pronouncements :

10×5=50

- (a) यदि एक व्यक्ति, जिसने स्वैच्छिक तौर पर शराब का नशा किया है, इस तरह के नशे के प्रभाव के तहत एक अपराध करता है, क्या वह 'स्वैच्छिक नशे' से बचाव हेतु अभिवचन कर सकता है? आइ० पी० सी० के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रकाश में विवेचना कीजिए।

If a person, who voluntarily consumed intoxicating liquor, commits an offence, while under the influence of such intoxication, can he plead 'voluntary intoxication' as a defence? Discuss in the light of relevant provisions of the IPC.

- (b) यदि एक स्त्री दूसरी स्त्री को गुप्त कृत्य में संलग्न देखती अथवा उसकी छवि खींचती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब दूसरी स्त्री यह अपेक्षा रखती है कि दूसरा अन्य व्यक्ति उसे नहीं देख रहा है, क्या यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 'दृश्यरतिकता' का अपराध होगा? विवेचना कीजिए।

If a woman watches or captures the image of another woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed by any other person, does that amount to offence of 'voyeurism' under the Indian Penal Code? Discuss.

- (c) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत क्या यह अनिवार्य है कि सरकारी कर्मचारी को अपराध के लिए दंडित करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी? उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और प्रासंगिक प्रावधानों के प्रकाश में विवेचन कीजिए।

Is it mandatory to obtain previous sanction for prosecuting a public servant for offences under the Prevention of Corruption Act, 1988? Discuss in the light of relevant provisions and the decisions of the Supreme Court.

- (d) " 'लोक उपद्रव' किसी व्यक्ति के लिए सिविल वाद हेतुक का कारण नहीं बनता है।" टिप्पणी कीजिए।

" 'Public nuisance' does not create a civil cause of action for any person." Comment.

- (e) "प्रतिनिधिक दायित्व के सामान्य मामले अपने रोजगार के दौरान सेवक द्वारा अपने वाहन चलाने से संबंधित होते हैं।" विनिश्चित मामलों के प्रकाश में व्याख्या कीजिए।

"The common cases of vicarious liability relate to servant driving his vehicle in the course of employment." Explain in the light of decided cases.

2. (a) भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत 'हत्या' की परिभाषा बहुत विस्तृत है। इसमें न केवल 'साशय' और 'अनभिप्रेत' मृत्यु के कारण सम्मिलित हैं बल्कि वे मामले भी हैं जहाँ मृत्यु की 'पूर्वकल्पना' भी नहीं की गयी है। व्याख्या कीजिए।

The definition of 'murder' under Section 300 of the Indian Penal Code is very wide. It includes not only both 'intentional' and 'unintentional' causing of death but also cases where the death is not even 'foreseen'. Explain.

20

- (b) “‘क्षति मापदण्ड’ अभिव्यक्ति का अर्थ वह पैमाना अथवा निर्देश द्वारा नियम है जिसके अनुसार नुकसानों का परिमाण अभिलेखित और निर्धारित किया जाना चाहिए।”

उपरोक्त कथन के प्रकाश में अपकृत्य सुधार के रूप में नुकसानों की परिवर्ती रूपरेखाओं का परीक्षण कीजिए।

“The expression ‘measures of damages’ means the scale or rule by reference to which the amount of damages is to be recorded and assessed.”

In the light of the above statement, examine the changing contours of damages as a tortious remedy.

15

- (c) यद्यपि भारतीय दंड संहिता की दोनों धाराएँ 34 और 149 आन्वयिक आपराधिक दायित्व को लागू करती हैं फिर भी दोनों के बीच भेद के पर्याप्त संकेतक हैं। वे क्या हैं?

Though both Sections 34 and 149 of the Indian Penal Code provide for imposition of constructive criminal liability, there are substantial points of difference between the two. What are they?

15

3. (a) भारत में यद्यपि अभी तक 'मृत्युदंड' का उन्मूलन नहीं हुआ है लेकिन नवीन प्रवृत्तियों ने दिखाया है कि उच्चतम न्यायालय ने, अपीलों में, इसको रूपांतरित करने की प्रवृत्ति दिखाई है और मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा देते हुए आगे निर्देश दिए हैं कि मुजरिमों को जेल से रिहा न किया जाए जब तक कि वे वास्तव में प्रायः 20, 25 अथवा 30 वर्षों तक की विशेष अवधि तक कारागार में व्यतीत न कर लें। क्या आप सोचते हैं कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार के निर्देश जारी करना न्यायसंगत है? टिप्पणी कीजिए।

Though the 'capital punishment' is not abolished in India, the recent trends show that the Supreme Court, in appeals, is inclined to modify the same and sentence the convict to life imprisonment with further direction that the convict must not be released from prison before he/she actually serves certain specified number of years usually 20, 25 or 30 years. Do you think the Court is justified in issuing such directions? Comment.

20

- (b) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और बताइए कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से कैसे भिन्न है।

Critically examine the Consumer Protection Act, 2019 and distinguish it with the Consumer Protection Act, 1986.

15

- (c) “ ‘विशेषाधिकार’ का अर्थ है कि एक व्यक्ति मामले के तथ्यों से इस प्रकार जुड़ा है कि वह कहने अथवा लिखने में न्यायसंगत है जो किसी दूसरे के लिए ‘निंदात्मक’ अथवा ‘अपमानजनक’ होगा।” अग्र निर्णय विधि द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए।

“ ‘Privilege’ means that a person stands in such relation to the facts of the case that he is justified in saying or writing what would be ‘slanderous’ or ‘libellous’ in anyone else.” Explain the statement with leading case law.

15

4. (a) जब तक ‘चोरी’ अथवा ‘उद्घापन’ के संघटक उपस्थित नहीं हैं, तब तक ना ही ‘लूट’ ना ही ‘डकैती’ का अपराध बनाया जा सकता है। व्याख्या कीजिए।

Unless the ingredients of either ‘theft’ or ‘extortion’ are present, neither the offence of ‘robbery’ nor the offence of ‘dacoity’ can be made out. Explain.

20

- (b) ‘एक्टस रीयस’ और ‘मेन्स रीआ’ दोनों की ही साथ उपस्थिति का साक्ष्य पर्याप्त नहीं है बल्कि आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए दोनों के बीच समधिकार स्थापित करने की भी आवश्यकता होती है। निर्णय विधि के प्रकाश में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Mere proof of presence of both ‘actus reus’ and ‘mens rea’ is not sufficient, the concurrence between the two also needs to be established to impose criminal liability. Elucidate in the light of case law.

15

- (c) “अपने सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए क्राउन उत्तरदायी नहीं था” का नियम भारत में कभी लागू नहीं किया गया। निर्णीत मामलों के प्रकाश में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

The rule “Crown was not answerable for tort committed by its servant” has never been applied in India. Examine the statement in the light of the decided cases.

15

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रासंगिक विधिक उपबन्धों व निर्णीत मामलों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए :

Answer the following in about 150 words each. Support your answers with relevant legal provisions and decided cases :

10×5=50

- (a) “एक सामान्य कागज संविदा की भाँति ही एक इलेक्ट्रॉनिक संविदा भी मुख्यतः भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के कोडीकृत प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है जो सामान्यतया सभी संविदाओं पर लागू होते हैं।” इलेक्ट्रॉनिक संविदा के समापन से संबंधित विधिक प्रावधानों के प्रकाश में इस कथन की व्याख्या कीजिए।

“Like an ordinary paper contract, an electronic contract is also primarily governed by the codified provisions of the Indian Contract Act, 1872 as applicable to contracts in general.” Explain the statement highlighting the legal provisions relating to conclusion of electronic contract.

- (b) जैव विविधता संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अधिकारिता के विशेष संदर्भ में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दिए गए प्रवेश और लाभ बाँटना (ए०बी०एस०) विधि का विवेचन कीजिए।

Discuss the access and benefit sharing (ABS) law provided under the Biodiversity Conservation Act, 2002 with special reference to adjudication of biodiversity disputes and jurisdiction of the National Green Tribunal.

- (c) “भारत के उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 देशांतरगामी महामारी से संबंधित लोकहित मुकदमों में सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप न करने की न्यायिक नीति अपनायी है।” निर्णीत मामलों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

“The Supreme Court of India in public interest litigation cases relating to COVID-19 pandemic adopted a judicial policy of non-interference into the policies of the Government.” Elucidate with the help of decided cases.

- (d) “एक प्रतिभू दायित्व से उन्मोचित कहलाती है जब उसका दायित्व समाप्त हो जाता है।” भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत प्रासंगिक विधिक प्रावधान द्वारा इस कथन पर प्रकाश डालिए।

“A surety is said to be discharged from liability when his liability comes to an end.” Throw light on the statement with relevant legal provision under the Indian Contract Act, 1872.

- (e) एनसन के अनुसार, “बीमा की संविदा वेजरिंग समझौते से एक विशेष पृष्ठीय सादृश्य रखती है, लेकिन वे वास्तव में भिन्न प्रकृति के लेनदेन हैं।” विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

According to Anson, “Contract of insurance bears a certain superficial resemblance to wagering agreement but they are really transactions of different nature”. Elucidate.

6. (a) “पेटेंट की अनुमति का तात्पर्य है कि पेटेंटी दूसरों को आविष्कार का उपयोग करने से वर्जित करने का अधिकार रखता है।”

पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रासंगिक प्रावधानों और अग्र निर्णयों के साथ उपरोक्त कथन के आशय की जाँच कीजिए।

“The grant of patent implies that patentee has a right to exclude others from using the invention.”

Examine the implication of the above statement with relevant provisions of the Patent Act, 1970 and leading judgements.

20

- (b) “कोई भी न्यायालय ऐसे पुरुष को अपनी सहायता नहीं देगा जहाँ उसकी कार्यवाही का कारण अनैतिक अथवा अवैध कार्य है।”

क्या उपरोक्त नियम के कोई अपवाद भी हैं? व्याख्या कीजिए।

“No court will lend its aid to a man who found his cause of action upon an immoral or illegal act.”

Are there any exceptions to the above-said rule? Explain.

15

- (c) “माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध इसके गुणागुण के कारण पक्षकार अपील नहीं कर सकते और न्यायालय इसके गुणागुण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।” क्रांतिक रूप से इस कथन की जाँच कीजिए और साथ ही माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की विशिष्टताओं की भी व्याख्या कीजिए।

“The parties cannot appeal against an arbitral award as to its merits and the court cannot interfere on its merits.” Critically examine the statement and also explain the highlights of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019.

15

7. (a) “परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का उद्देश्य बैंक प्रचालनों की दक्षता को प्रोत्साहित करना और चेकों द्वारा कारबारी संव्यवहार में प्रत्येयता को सुनिश्चित करना है।” नवीन संशोधनों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए।

“The objective of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 is to promote the efficiency of banking operations and to ensure credibility in transacting business through cheques.” Explain the statement with recent amendments.

20

- (b) “विधि न्यायसंगत पारिश्रमिक के अधिकार के संरक्षण के लिए बनी है लेकिन जीवन अर्थ से परे है।”

उपरोक्त कथन के प्रकाश में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 और इस मुद्दे पर निर्णयज विधि के अंतर्गत आर्थिक अधिकारों और नैतिक अधिकारों के द्विविभाजन का विस्तारपूर्वक निरूपण कीजिए।

“Laws are geared to protect the right to equitable remuneration but life is beyond the material.”

In the light of the above statement, dwell on the dichotomy of economic rights and moral rights under the Copyright Act, 1957 and case law on the point.

15

- (c) निर्णीत मामलों के प्रकाश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जीवन को संकट में डालने, आपराधिक मुकदमा और आपराधिक जाँच संबंधी सूचना के प्रकटीकरण से छूट के औचित्य की विवेचना कीजिए।

Discuss the rationale of exemption to disclosure of information endangering life and the information regarding criminal trial and criminal investigation provided under the Right to Information Act, 2005 in the light of decided cases.

15

8. (a) “समय के अंतराल में, न्यायालयों ने कई अपवाद सन्निविष्ट किए हैं जिनमें संविदात्मक संबंध का नियम एक व्यक्ति को संविदा प्रवर्तित करने से नहीं रोकता है जो उसके लाभ के लिए बनाया गया है, पर वह इसका पक्षकार नहीं है।” अग्र निर्णय विधि की सहायता से इस कथन की व्याख्या कीजिए।

“In the course of time, the courts have introduced a number of exceptions in which the rule of privity of contract does not prevent a person from enforcing a contract which has been made for his benefit but without his being a party to it.” Explain the statement with the help of leading case law.

20

- (b) “बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा विधि सामान्यतया आगे-पीछे कार्य करते हैं लेकिन प्रायः असहमति में मित्र बन जाते हैं।”

टी० आर० आइ० पी० एस० समझौता, 1995 के आदेश और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इसके अनुपालन का संदर्भ देते हुए उपरोक्त कथन को विस्तार से समझाइए।

“The intellectual property right and competition law generally work in tandem but often become friends in disagreement.”

Elucidate the above statement by referring to the mandate of the TRIPS Agreement, 1995 and its compliance under the Competition Act, 2002.

15

- (c) “पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एक छतरी विधान है, जो न केवल पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए है बल्कि प्रदूषण को रोकता और नियंत्रित करता है।” टिप्पणी और विश्लेषण कीजिए।

“The Environment (Protection) Act, 1986 is an umbrella legislation to not only protect and improve the environment but to prevent and control of pollution.” Comment and analyze.

15

★ ★ ★